न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 83/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/143

प्रार्थीः–

चन्दनसिंह पुत्र छतरसिंह जाति राजपूत निवासी सिराणा, तहसील रोहट, जिला पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. कर्मवीरसिंह उर्फ हीरसिंह पुत्र जब्बरसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम सिराणा तहसील रोहट जिला पाली
2. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत चेण्डा, तहसील रोहट, जिला पाली।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 19/02/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा मिसल संख्या 05/20.06.2009, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 07.12.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6331 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्त की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत अधिकतम 300 वर्गगज तक के पट्टे जारी करने का अधिकार है परन्तु ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा नियमों से परे जाकर 17512 वर्गफीट का जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्व में भी न्यायालय हाजा में एक निगरानी पेश की थी, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 23.07.1997 के द्वारा भंवरसिंह पुत्र छतरसिंह के पक्ष में जारी पट्टे में पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाने से उक्त पट्टे को खारिज किया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय हेतु प्रकरण ग्राम पंचायत चेण्डा को प्रतिप्रेषित किया गया था। भंवरसिंह जैर निगरानी प्रकरण में प्रार्थी चन्दन सिंह का सगा भाई है इसलिये प्रार्थी जैर निगरानी में हितबद्ध पक्षकार है। इस प्रकार प्रतिप्रेषित प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आराजी का पुनः पट्टा भंवरसिंह अथवा उसके परिवारजन के नाम बनना चाहिये था परन्तु ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से जैर निगरानी पट्टा उनके पक्ष में जारी कर दिया, जो विधिविरूद्ध है। साथ ही अप्रार्थी जैर निगरानी पट्टे की आड़ में प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर मालिक बनने की कोशिश कर रहा है एवं

अति. जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थी के आवासीय प्लॉट की भूमि में आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। जैर निगरानी पट्टो की मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि मिसल में मनोनित पंचों के नाम अंकित नहीं है तथा भूमि निरीक्षण पत्र में केवल दो अगुंष्ठ निशान है जबकि कोरम तीन पंचों का होता है। आपत्ति नोटिस कब, कहॉ व किनके समक्ष चस्पा किया गया है ऐसी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। चूकि जैर आराजी प्रार्थी के सगे भाई की थी इसलिये प्रार्थी की पैतृक सम्पति है। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पंचायती राज नियमों में निहित प्रक्रिया की पालना नहीं की गयी है इसलिये निगरानी स्वीकार फरमाते हुये जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी जैर निगरानी प्रकरण में हितबद्ध व्यक्ति नहीं है क्योकि न्यायालय हाजा से पूर्व में निर्णित प्रकरण में प्रार्थी के भाई भवंरसिंह पक्षकार थे, प्रार्थी नहीं। पूर्व के प्रकरण को निर्णय दिनांक 23.07.1997 के द्वारा रिमाण्ड किया गया था, यदि उक्त निर्णय में पक्षकार को कोई आपत्ति होती तो भाई भवंरसिंह अथवा उसके वारिसान न्यायालय में आते क्योकि वो जैर आराजी में हितबद्ध पक्षकार थे। साथ ही जैर आराजी में प्रार्थी का कोई हित अधिकार निहित हो इस बाबत कोई भी दस्तावेज अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थी के भाई भंवरसिंह ने अप्रार्थी के विरूद्ध सिविल न्यायालय में दावा पेश किया था, जो खारिज हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में जारी किया गया है, न कि रास्ते की भूमि पर क्योकि यदि रास्ते की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया हुआ होता तो कोई न कोई आक्षेप जरूर लगते परन्तु ऐसे कोई आक्षेप नहीं लगे है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने भी कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है और न ही अपनी निगरानी मीमों में ऐसा कोई मुख्य आधार लिया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जैर निगरानी पट्टे की आड़ में विद्यालय अथवा चिकित्सालय का रास्ता अवरूद्ध हुआ हो। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा वर्ष 2009 में जारी किया है तत्समय प्रभावी नियमों में नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने में क्षेत्रफल के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं थे। पट्टे के सम्बन्ध में 300 वर्गगज क्षेत्रफल के नियम की बाध्यता को वर्ष 2013 के संशोधन के द्वारा नियम 157 के तहत जोड़ा गया है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा जिसका क्षेत्रफल 17512 वर्गफीट है, नियमानुसार है। ग्राम सिराणा के गुगल नक्शे अनुसार प्रार्थी का मकान एवं अप्रार्थी का जैर निगरानी पट्टे सुदा मकान में बहुत ज्यादा दुरी है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो के मकान अलग अलग दिशा में है तो फिर प्रार्थी का हक अधिकार कैसे प्रभावित हुए। अतः प्रार्थी द्वारा बिना किसी ठोस आधार के एवं बिना हितबद्ध पक्षकार हुये प्रस्तुत जैर निगरानी को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा मिसल संख्या 05/20.06.2009, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 07.12.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6331 के विरूद्ध पेश की गई। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी में प्रार्थी हितबद्ध

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पक्षकार नहीं है, जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने उज्र किया कि जैर निगरानी आराजी प्रार्थी के भाई की सम्पति है, इसलिये प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है साथ ही धारा 97 के तहत स्वप्रेरणा से भी निगरानी पेश की जा सकती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। इसलिये अधिवक्ता अप्रार्थी का उक्त कथन खारिज किया जाता है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस यह कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है जिस वजह से विद्यालय अथवा चिकित्सालय का मार्ग अवरूद्ध हो गया है, जिसका विरोध करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि अधिवक्ता प्रार्थी ने ऐसे कोई तथ्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह जाहिर होता हो कि जैर निगरानी पट्टे की वजह से विद्यालय अथवा चिकित्सालय का मार्ग अवरूद्ध हुआ हो। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रकट नहीं किये और न ही ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये जिससे यह साबित हो सके कि जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि पर बना हो, साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गुगल नक्शे के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में ही जारी हुआ है, न की रास्ते की भूमि पर, इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अधिवक्ता प्रार्थी का प्रमुख उज्र दौराने बहस यह भी रहा कि ग्राम पंचायत ने नियम 157 के तहत अप्रार्थी को 17512 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी कर दिया जबकि पंचायतीराज नियम 157 में केवल 300 वर्गगज तक के पट्टे ही जारी किये जाने का प्रावधान है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के इस उज्र का विरोध करते हुये कथन किया ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा वर्ष 2009 में जारी किया है तत्समय प्रभावी नियमों में नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने में क्षेत्रफल के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं थे। पट्टे के सम्बन्ध में 300 वर्गगज क्षेत्रफल के नियम की बाध्यता को वर्ष 2013 के संशोधन के द्वारा नियम 157 के तहत जोड़ा गया है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा जिसका क्षेत्रफल 17512 वर्गफीट है, नियमानुसार है। परन्तु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा 157 का उद्देश्य पुराने गृहों के विनियमितीकरण का है न कि किसी व्यक्ति के पक्ष में बहुत बड़ी भूमि का पट्टा जारी करने का। यदि इस प्रकार 17512 वर्गफीट अर्थात् लगभग 1 बीघा भूमि का पट्टा एक व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जाता है तो यह इस

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिनियम के मूल उद्देश्य का दुरूपयोग होगा, इसलिये न्यायालय के मत अनुसार पट्टा 17512 वर्गफीट की भूमि से सम्बन्धित है, जबकि 1996 के नियम 157 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर 300 वर्गगज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 20.06.2009, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया तथा उक्त आदेशिका में अंकितानुसार अप्रार्थी ने पुराने कब्जे सुदा प्लॉट का पट्टा बनाने का निवेदन किया है जबकि राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(ख) के अनुसार 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये रू. 200/– की राशि पर पट्टा जारी किये जाने के प्रावधान है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ(Raj) 730 Mangilal Meghwal vs state में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा, 157 के तहत पट्टा देने के लिए मौके पर पुराना मकान होना आवश्यक है।"

इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। नक्शे पर न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है और न ही सायल के हस्ताक्षर है साथ ही उक्त नक्शा कब बनाया गया, के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किन्तु इन प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह् लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वे समर्थन योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान साइक्लोस्टाईल में दर्ज है, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। आदेशिका दिनांक 20.08.2009 में गवाहों के नाम पश्चातवर्ती अंकित है, जो कि मिसल की आदेशिका के देखने मात्र से स्पष्ट होता है। नियम 148 के तहत आपत्ति इश्तिहार प्ररूप–XXII में आक्षेप आमन्त्रित करते हुये प्रकाशित करना था जबकि ग्राम पंचायत ने नियम 260 फार्म संख्या 50 के तहत आपत्ति इश्तिहार जारी कर दिया तथा आपत्ति इश्तिहार का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में गवाहो के केवल हस्ताक्षर अंकित है उनकी वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा मिसल संख्या 05/20.06.2009, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 07.12.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6331 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली